मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2002 (फाल्गुन 7, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेखः-

(1) श्रीमती सरला ग्रेवाल, मध्यप्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल;
(2) श्री जगदीश चंद्र जोशी, भूतपूर्व संसद सदस्य;
(3) श्री भागु नंदू मालवीय, भूतपूर्व संसद सदस्य;
(4) श्री लक्ष्मीनारायण, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य;
(5) श्री कीरत सिंह ठाकुर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य;
(6) श्री नन्हेलाल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य;
(7) श्री केसरीमल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य;
(8) श्री बाबूलाल दशरथ सोनी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य; तथा
(9) संसद भवन पर आतंकवादियों के हमले में शहीद सुरक्षा कर्मी.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हजारी लाल रघुवंशी, संसदीय कार्य मंत्री :-

(1) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा-9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2387-एक-(2)-62-अड़तालीस-2001-(सं.का.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2001; तथा

(2) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा-9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2389-एक-(2)-63-अड़तालीस-2001-(सं.का.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2001,

पटल पर रखेंगे.

4. नवम्बर, 2001 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन नवम्बर, 2001 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रामक रोग के फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में इल्ली के प्रकोप से फसल नष्ट होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा.

9. संविहित संकल्प

श्री हजारी लाल रघुवंशी, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

(1) "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6 के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क-1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान मंडल यात्रा नियम, 1957 में किए गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2387-एक-(2)-62-अड़तालीस-2001-(सं.का.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 671, दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 में प्रकाशित किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है."

(2) "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में किए गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2389-एक-(2)-63-अड़तालीस-2001-(सं.का.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 672, दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 में प्रकाशित किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है."

डॉ.ए.के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 25 फरवरी, 2002